कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

।।निविदा आमंत्रण सूचना।।

BOT पद्धति से मिनी यूनीपोल स्थापित करने एवं विज्ञापन अधिकार हेतु

नगर पालिक निगम नगर निवेश रायपुर

क्रमांक – ..12.../भ.नि.अ.प./न.पा.नि./2022 रायपुर दिनांक 01/04/2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम रायपुर सीमा क्षेत्र में शहर की सौन्दर्यीकरण एवं बेहतर नागरिक सुविधा हेतु 03 वर्ष के लिए, **बी.ओ.टी.** आधार पर मिनी यूनीपोल (साईज 15'x9') स्थापित करने व विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/एजेन्सी/फर्म/कंपनी, जो नगर निगम रायपुर में विज्ञापन एजेंसी के रूप में पंजीकृत हो, से अधिकतम दर प्राप्त करने सील बंद लिफाफे में **दिनांक** 21/04/22 को **अपरान्ह 5.00 बजे** तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा द्वि लिफाफा पद्धति में रहेगी, जिसके अन्तर्गत **लिफाफा 'अ' में** (1) अमानत राशि का FDR/DD, जो किसी राष्ट्रीयकृत/निजी बैंक से जारी हुआ हो, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति रहेगा। **लिफाफा 'ब' में** निविदा दर डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। निविदादर में कांट–छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। लिफाफा 'अ' में अमानत राशि का FDR/DD, निविदा प्रपत्र का डी.डी. व एवं विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन व आयकर रिटर्न की छायाप्रति पाये जाने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। निविदा दूसरे दिन उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधी के समक्ष **दिनांक** 22/04/22 **को अपरान्ह 5.00 बजे** को खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र नगर निगम के नवीन मुख्यालय (कार्यालय) भवन के नगर निवेश शाखा के रूम नं. 311 में जमा की जावेगी।

निविदा प्रपत्र मूल्य	दो हजार रूपयें, वापसी योग्य नहीं
ठेका अवधि	03 वर्ष
प्रस्तुत ऑफर की वैधता अवधि	90 दिन

क.	स्थल का नाम	संख्या	न्यूनतम आफसेट राशि (01 वर्ष)	अमानत राशि
1.	**भांठागांव अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड के सामने स्थित रोड डिवाइडर मे बी.ओ.टी. पद्धति से मिनी यूनिपोल (15'x9'-Double facing) की स्थापना एवं विज्ञापन अधिकार का कार्य।**	**3**	**3.00 लाख**	**25000/–**

टीपः– निविदा का विस्तृत विवरण नियम शर्ते एवं निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamraipur.nic.in से डाऊनलोड किया जा सकता है। डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रू. 2000/– का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, रायपुर

निविदा प्रपत्र

प्रति,

नगर निवेशक,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– भांठागांव अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड के सामने स्थित रोड डिवाइडर मे बी.ओ.टी. पद्धति से मिनी यूनिपोल (15'x9'-Double facing) की स्थापना एवं विज्ञापन अधिकार का कार्य।

संदर्भ :– नगर निगम रायपुर द्वारा आमंत्रित निविदा कमांक............... दिनांक ....।

———000———

निविदा अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर सीमा क्षेत्र में निर्धारित ग्रुप (रोड ग्रुप का नाम...

....)

पर 03 वर्ष के लिए, बी.ओ.टी. आधार पर मिनी यूनीपोल स्थापित करने व विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु (Lumpsum) .... रूपये (शब्दो में ....) वार्षिक निविदा दर हमारे द्वारा दिया जा रहा है। निविदा की समस्त शर्तो का हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्ते हमें मंजूर है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ की मेरा या मेरी संस्था का नाम किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नही है।

निविदाकर्ता एजेन्सी का नाम :–

हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम :–

पूर्ण पता :–

दूरभाष क. एवं मोबाइल क. :–

मिनी यूनीपोल BOT पद्धति से स्थापित करने हेतु आमंत्रित निविदा दिनांक 21/04/22 की शर्तें

1. निविदा द्वि–लिफाफा पद्धति से होगा। **लिफाफा 'अ'** (1) अमानत राशि का FDR/DD, जो किसी राष्ट्रीयकृत/निजी बैंक से जारी हुआ हो, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति रखना होगा। **लिफाफा 'ब'** में निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखकर रखना होगा। निविदादर में कांट–छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा।
2. अमानती राशि डिमांड ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. के रूप में जो कि राष्ट्रीयकृत/निजी बैंक से जारी किया गया हो, एवं जीवित हो आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से जमा करना होगा।
3. **मिनी यूनीपोल पर बी.ओ.टी. (Built Operate & Transfer) के आधार पर विज्ञापन का अधिकार के लिए निविदा, 03 वर्ष की अवधि हेतु आमंत्रित की गई है। अवधि समाप्ति पश्चात् सभी स्थापित मिनी यूनीपोल स्वमेव नगर निगम रायपुर को हस्तांतरित हो जायेंगे। इस समय मिनी यूनीपोल की स्थिति स्ट्रक्चर सर्टीफिकेट के अनुसार होना चाहिएं।**
4. अनुबंध 03 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 5 प्रतिशत की क्रमोत्तर वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायगा।
5. **दर स्वीकृत होने की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत हुए प्रथम वर्ष के किराया राशि का 30% राशि जमा करते हुए इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा न करने व कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानती राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध करा लेने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा, इस हेतु निविदाप्राप्तकर्ता एजेंसी को पृथक से कार्यादेश जारी किया जायेगा।**

   कार्यादेश जारी दिनांक से एक माह मिनी यूनीपोल स्थापना हेतु दी जायेगी।

   तत्पश्चात् अर्थात् यूनीपोल स्थापना हेतु दी गई अवधि समाप्ति दिनांक के दूसरे दिन से किराया लागू माना जावेगा। स्थल उपलब्धता के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटी होने पर, निविदाप्राप्तकर्ता एजेंसी को इसकी सूचना कार्यादेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा। किसी भी अवधि में प्रदर्शन न कर पाने की स्थिति में नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित निविदा राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा 03 वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है, परन्तु निविदा राशि निविदा प्रपत्र में एक वर्ष के लिए भरनी होगी। निविदा स्वीकार होने पर 1 वर्ष का किराया अनुबंध के पूर्व **दर स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर 30% राशि जमा करना अनिवार्य है तथा शेष राशि कार्यादेश जारी दिनांक से दो माह के भीतर जमा करना होगा। प्रत्येक आगामी वर्ष का किराया वर्ष प्रारंभ होने के 1 माह पूर्व वृद्धि सहित जमा करना होगा।** भुगतान तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा। ऐसी स्थिति में समस्त सम्पत्तियों का मालिकाना हक नगर निगम का होगा।
7. यदि मिनी यूनीपोल की संख्या किन्ही कारणों से बढ़ायी या घटायी जाती है, तो अनुपातिक ढंग से निविदा राशि की गणना की जायेगी। इसी प्रकार किसी कारणवश साईज मे वृद्धि या कमी की जाती है तो तद्नुसार अनुपातिक ढ़ंग से निविदा राशि की गणना की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ...... 02

8. किन्ही कारणों से किसी रोड पर मिनी यूनीपोल लगाने का कार्य निरस्त किया जाता है, तो अमानति राशि वापस की जायेगी, किन्तु सफल निविदाकार को किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
9. मिनी यूनीपोल आई.एस.आई. धारक कंपनी/फर्म द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार होगा।
10. मिनी यूनीपोल में जमीन सतह से 22′ ऊंचाई के वाद विज्ञापन फलक (15′X9′) लगाने होंगे। <u>यूनीपोल के दोनों फलक में विज्ञापन किया जा सकेगा।</u>
11. मिनी यूनीपोल का स्ट्रक्चरल डिजाइन नगर निगम में पंजीकृत सक्षम स्ट्रक्चरल इंजीनियर से तैयार कराने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी तथा उन्हें यूनीपोल की डिजाइन सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पास सुरक्षित है।
13. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
14. मिनी यूनीपोल आंधी–तूफान या अन्य किसी कारण से आंशिक या पूर्ण रूप से ध्वस्त होने से जन/धन की हानि होने पर स्वयं जिम्मेदार होने के संवंध में निविदाकर को विज्ञापन (पंजीयन व विनियमन) उपविधि 2012 के निर्धारित प्रारूप में वचनवन्ध 50 रूपयें के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षर कर नोटराईज्ड कराकर, अनुवंध के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
15. मिनी युनीपोल स्थापित करने के उपरांत समस्त आवश्यक संधारण का कार्य निविदाकार को स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष करना होगा तथा प्रतिवर्ष संधारण कार्य करने की जानकारी देना होगा।
16. मिनी यूनीपोल में विद्युत कनेक्शन हेतु सफल निविदाकार एजेंसी को अनापत्ति पत्र दिया जा सकेगा। विद्युत कनेक्शन निविदाकार को स्वयं के व्यय पर लेना होगा एवं देयकों का भुगतान उसे स्वयं करना होगा।
17. निविदा प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा मिनी यूनीपोल स्थापित करने एवं उस पर प्रचार–प्रसार करने के अधिकार को बिना सक्षम स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी/फर्म को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।
18. नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही मिनी यूनीपोल लगाना होगा। आवश्यकतानुसार स्थल परिवर्तन करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम, रायपुर को होगा।
19. अन्य दूसरें विभागों से अनुमति लेने की स्थिति में एजेन्सी स्वयं के व्यय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।
20. निविदाकार एजेंसी स्थापित मिनी यूनीपोल में, शासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं एवं अश्लील विज्ञापनों का प्रदर्शन नहीं करेगा।
21. स्थापित मिनी यूनीपोल को किन्ही कारणों से अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने की स्थिति में निविदाकार एजेंसी को स्वयं के व्यय से निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर स्थापित करना होगा।
22. निविदाकार किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय या नगरीय निकाय आदि में कालीसूची में दर्ज न हो ।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

क्रमशः पृष्ठ 03

24. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. वापस कर दी जायेगी एवं जिसकी स्वीकृत होगी उनका एफ.डी.आर. निविदा अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार वापस की जावेगीं।

25. कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर नगर पालिक निगम, रायपुर मुख्यालय भवन के रूम नं. 311 स्थित नगर निवेश शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

26. निविदा दर जी.एस.टी. रहित माना जायेगा। जी.एस.टी. राशि एजेंसी के द्वारा देय होगा।

उपरोक्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम द्वारा 15 दिनों का नोटिस दिया जाकर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, रायपुर